

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या नौएडा/वरि0न0नि0/2010/ III-188

दिनांक: 12/3/10

सेवा में,

M/s. Logix Infrastructure Pvt. Ltd.,
D-922, New Friends Colony
New Delhi-65

- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 29.1.2010 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की प्लॉट संख्या जीएच - 02, सैक्टर-137, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है-
1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
 2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉंगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
 5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
 6. बिजली की लाईन से निर्धारित दूरी के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
 7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौकै पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन, नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग, नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
 9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
 10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।

12 यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।

13 आवेदन को अंतिम प्रमाण पत्र को आवेदन प्रारंभिक समस्त सम्बन्धित विवरणों से नियमनुसार सम्पूर्णित कर प्रस्तुत करना होगा।

14. आवेदी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नौएडा भवन का निरीक्षण अथवा करवायेगा।

15 स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियमित 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमत्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 99771.36 वर्ग मी0
- अनुमत्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% 39908.54 वर्ग मी0
- अनुमत्य एफ.ए.आर. @ 2.75 274371.24 वर्ग मी0

तल	अनुमत्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी0)	सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.) (वर्गमी0)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
भूतल	शेष एफ0ए0आर0	11704.964	385.05	12090.014
प्रथम तल		12875.756	532.61	13408.366
द्वितीय तल		12875.756	532.61	13408.366
तृतीय तल		12875.756	532.61	13408.366
चतुर्थ तल		12875.756	532.61	13408.366
पंचम तल		12875.756	532.61	13408.366
छटवां तल		12875.756	532.61	13408.366
सातवां तल		12875.756	532.61	13408.366
आठवां तल		12875.756	532.61	13408.366
नौवा तल		12875.756	532.61	13408.366
दसवां तल		12875.756	532.61	13408.366
ग्यारहवां तल		12875.756	532.61	13408.366
बारवां तल		12875.756	532.61	13408.366
तेरहवां तल		12875.756	532.61	13408.366
चौदहवां तल		12875.756	532.61	13408.366
पन्द्रहवां तल	12875.756	532.61	13408.366	
सौलहवां तल	12875.756	532.61	13408.366	

सत्रहवां तल		12875.756	532.61	13408.366
अठ्ठारहवां तल		12875.756	532.61	13408.366
उन्नीसवां तल		12875.756	532.61	13408.366
बीसवां तल		12875.756	532.61	13408.366
ममटी	--	-	685.78	685.7800
कुल एफ.ए.आर.		269220.084	11723.03	280943.114

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 14240.740 (14.27%)
 प्रस्तावित (एफ0ए0आर0) = 269220.084 (2.69)

बेसमेन्ट-1 = 31,800.00 वर्ग मी0
 बेसमेन्ट-2 = 25,800.00 वर्ग मी0
 स्टिल्ट = 1933.47 वर्ग मी
 कुल नॉन एफ0ए0आर0 = 59533.47 वर्ग मी0
 कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल = 340476.584 वर्ग मीटर
 (सेवा, स्टिल्ट एवं बेसमेन्ट सहित)

कुल अनुमोदित क्षेत्रफल [दसवीं मंजिल (भूतल+9) तक] = एफ0ए0आर0 + सेवा क्षेत्रफल + स्टिल्ट, तहखाना(लोअर+अपर)
 (सेवा, स्टिल्ट एवं बेसमेन्ट सहित)
 = 1,27,586.768 + 5178.54 + 59533.47
 = 1,92,298.778 वर्ग मीटर

नोट:-उपरोक्त कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 340476.584 वर्ग मीटर के सापेक्ष में 30.0 मी0 ऊँचाई अर्थात दसवीं मंजिल (जी+9) तक 1,92,298,.778 वर्ग मी0 क्षेत्रफल स्वीकृत किया जाता है ।

नाम
 पद
 राजपाल कोशिक
 वरिष्ठ नगर नियोजक
 नौएडा

प्रतिलिपि:
 महा प्रबन्धक (A.G.M. (G.M.)) को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Map for proposed Building is as per the
 laws. Submitted for approval please

Sh. Asst. (A.G.M. (G.M.))
 Sh. Asst. (A.G.M. (G.M.))
 Sh. Asst. (A.G.M. (G.M.))